

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक- /2018

1  
16-02-2018/01208

राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र शिव नारायण अग्रवाल,  
निवासी-राजा अग्रवाल मैरिज हॉल के सामने,  
बड़ापुल दमोह, तहसील व जिला दमोह(म.प्र.)

—आवेदक

बनाम

1. अजीत उज्जैनकर पुत्र स्व. अरूण नारायण  
राव उज्जैनकर, निवासी-सिविल वार्ड नंबर-1,  
मोहन टॉकीज के पास, दमोह, तहसील व  
जिला दमोह (म.प्र.)
2. रमला पुत्र गणेश
3. पार्वती बेवा गणेश
4. डोमन पुत्र बिन्दे
5. मंगोबाई बेवा बिन्दे, निवासीगण-ग्राम सिमरी  
तहसील व जिला दमोह (म.प्र.)
6. शेंव प्रसाद पुत्र भभूदे
7. शेंव प्रसाद पुत्र मकुंदी निवासीगण-ग्राम सिमरी  
तहसील व जिला दमोह (म.प्र.)
8. भगवान सिंह पुत्र शेव प्रसाद लोधी
9. बाबूलाल पुत्र शेव प्रसाद लोधी
10. वृंदावन पुत्र शेव प्रसाद लोधी, निवासीगण-ग्राम  
सिमरी तहसील व जिला दमोह (म.प्र.)

—अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय दमोह द्वारा

प्रकरण क्रमांक-38/अ-6/2016-17 में पारित आदेश

दिनांक 08/02/2018 के विरुद्ध म.प्र.भू-राजस्व संहिता,

1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

श्री विनोद भागीव  
द्वारा आज दि. 16-02-2018 को  
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु  
दिनांक 26-02-2018 नियत।  
कलकत्ता  
16-2-18

18  
श्री विनोद भागीव  
द्वारा आज दि. 16-02-2018 को  
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु  
दिनांक 26-02-2018 नियत।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2018/1208

राजेन्द्र विरूद्ध अजीत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अमित भार्गव एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से सुनील सिंह जादोन उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दमोह के प्रकरण क्रमांक 38/अ-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 08-02-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-02-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार -</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर दमोह के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।</p> <p>5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह को अंतरित किया जाता</p>	

01.01.2019

2

है। आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर दमोह के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

*hgs*  
(आर.के. जैन) 01.01.2019  
सदस्य